App. A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

रामजीलाल मीणा बनाम मांगी गुर्जर

किस्म मुकदमा 111, 128 L.R. Act नं. 37 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/1/21	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 LR Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 9/2/21 को पेश हो। 5580	
9/2/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साविक आदेश दिनांक 4/3/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
4/3/21	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साविक आदेश दिनांक 18/3/21 को पेश हो। आज्ञा से रीडर	
18/3/21	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी 1 से 3 ... (तामील) के उपस्थित	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:27 IST
Reason: SelfAttested

पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र न्यायिक हाईकोर्ट/सं
स्वीकार किया जाता है विरुद्ध निर्णय
पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया
पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से
कम किया जावे

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय लेण्ड रेकार्ड (उपखण्ड अधिकारी) बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्री महीपाल सिंह (आर ए एस)

प्रकरण संख्या 37/**2021** प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक 28/01/2021
निर्णय दिनांक 18/03/2021

अनवान

रामजीलाल पिता पुनीराम जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी – बालोतपाडा जिला दोसा राज0

........प्रार्थी

बनाम

1. मांगी पत्नि सीताराम गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. बदाम पत्नि नोरत गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. रूगनाथ पिता उदा गुर्जर निवासी कमालपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,129 सपठित धारा 111 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– श्री मुरारी जोशी वकील **प्रार्थी**

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कमालपुरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 146 स्थित आराजी संख्या **627/194 कुल** किता 01 रकबा **1.0117 हैक्टेयर** भूमि जो प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की है । प्रमाण मे नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है । उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी है । प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधि विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसे प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है । अ[illegible] स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे ।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पंजी[illegible] किया जाकर विपक्षीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये विपक्षी गण जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षी गण नियत दिनांक पर वास्ते अपना पक्ष रखने हाजिर नही होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई । प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है ।

–:: आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कमालपुरा पटवार मण्डल चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खतौनी संख्या 146 स्थित आराजी संख्या **627/194 कुल** किता 01 रकबा 1.0117 **हैक्टेयर** भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतू तहसीलदार बनेडा को आदेश पारित किया जाता है । कमिश्नर फीस भु–अभलेख निरीक्षक महुआखुर्द को 500/– रूपये प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी । पक्षकारान की उपस्थिति मे पत्थरगढी की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18–03–2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)

(महीपाल सिंह)
लेण्ड रेकार्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2022.04.08 11:43:27 IST
Reason: SelfAttested